यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी के माह 12.2015 से 12.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.01.2019 से 30.01.2019 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा माह 07.2008 से 11.2015 तक श्री राजेन्द्र कुमार जोगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 16.12.2015 से 19.12.2015 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, विधुत्कार, कोपा, इलेक्ट्रिनिक मैकेनिकल आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे समस्त बड़कोट आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2015-16	0.00	0.00	151.93	151.92	55.55	45.86	-	9.70
2	2016-17	0.00	0.00	226.88	189.34	102.47	97.72	-	42.29
3	2017-18	0.00	0.00	231.93	197.05	108.47	103.70	-	39.65
4	2018-19	0.00	0.00	198.26	161.61	129.78	97.48	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12.2015 से 12.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1:- धनराशि रु 46.99 लाख के वाउचरो पर त्रुटिपूर्ण 2% टीडीएस की कटौती किया जाना।

According to Circular No. 01/2014, dated 13.01.14 and revised/modified Circular No. 23/2017, dated 19.07.17 "TDS not to be deducted on Service Tax and GST Component"

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के मद संख्या 16 "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अंतर्गत क्रमशः धनराशि रु 90.42 लाख एवं 96.09 लाख के आवंटन के सापेक्ष क्रमशः रु 90.42 लाख एवं 61.08 लाख (माह 08/2018 तक) व्यय किया गया। संबन्धित वाउचरो/देयकों की नमूना जांच माह 06/2018 मे कुल रु 46.99 लाख के भुगतानित देयकों की जांच मे पाया गया कि संबन्धित वाउचरो/देयकों मे उपरोक्त सर्कुलर के विपरीत देयकों का भुगतान करते समय 15% service tax अथवा 18% GST कर को शामिल करते हुये, देयकों से दो प्रतिशत आयकर कटौती कर लेखाशीर्ष 8658001120000 (टीडीएस कटौती) मे जमा/अंतरण किया गया। नमूना जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि उपनल के संबन्धित देयकों मे 'TDS not to be deducted on service tax component and GST' का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी सर्विस कर तथा जीएसटी पर दो प्रतिशत टीडीएस की कटौती किया जाना पाया गया तथा इकाई द्वारा संबन्धित कटौती किए जाने पर समर्थित साक्ष्य एवं निर्देश/नियमावली लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराने मे असमर्थ पायी गयी। आगे जांच मे पाया गया कि संबन्धित त्रुटिपूर्ण टीडीएस कटौती 08/2018 तक कुल रु 61.08 लाख तक इसी प्रकार बनी हुई थी तथा विगत वर्ष 2017-18 के नमूना जांच मे चयनित देयकों के परीक्षण के उपरान्त इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण टीडीएस कटौती जीएसटी एवं सर्विस टेक्स कॉम्पोनेंट पर किया जाना पाया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि "जानकारी के अभाव मे जीएसटी एवं सर्विस टेक्स के कॉम्पोनेंट पर टीडीएस की कटौती की गयी, भविष्य के लिए नोट किया जाता है"।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, उपरोक्त सर्कुलर के तहत सर्विस कर एवं जीएसटी पर टीडीएस की कटौती अनुमन्य नही पायी गई तथा मद संख्या 16 के अंतर्गत भुगतानित सर्विस कर तथा जीएसटी आय का स्त्रोत नही है, साथ ही इकाई द्वारा उक्त देयकों से कटौती संबन्धित कोई साक्ष्य/ निर्देश लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2:- धनराशि रु 5.49 लाख का व्ययावर्तन (Diversion) किए जाने का प्रकरण पाया जाना।

As per the IMC Guidelines: NCVT affiliation is mandatory before starting new courses. In no case shall the loan amount be used for paying salaries to faculty and staff for the existing courses.

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि आईएमसी की क्यूपीआर रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षा तिथि तक Additional Man Power के अंतर्गत धनराशि रु 6.63 लाख का व्यय किया गया, जिसमे जून 2018 तक कुल रु 5.49 लाख का व्यय किया जाना पाया गया। उक्त मद Additional Man Power की जांच से तथ्य प्रकाश मे आया कि आईएमसी द्वारा माह 03/2015 से वेल्डर व्यवसाय हेतु संविदा पर अनुदेशक कि तैनाती उपनल द्वारा किया गया एवं माह 03/2015 से वर्तमान तक संबन्धित सविदा कर्मचारी का वेतन आईएमसी द्वारा भुगतान किया जा रहा था, जबकि आईएमसी समिति की क्यूपीआर रिपोर्ट के अनुसार संबन्धित व्यवसाय अगस्त 2018 मे (सत्र 2018-19) से एनसीवीटी मान्यता मिलने के बाद प्रारम्भ किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के विपरीत माह 03/2015 से 06/2018 तक संबन्धित व्यवसाय एससीवीटी द्वारा संचालित होने के बावजूद आईएमसी द्वारा कुल रु 5.49 लाख का व्यय किया गया। आगे जांच मे पाया गया संस्थान हेतु उक्त ट्रेड हेतु पद स्वीकृत नही पाया गया एवं संबन्धित पद स्वीकृत न होने के बावजूद ट्रेड एससीवीटी द्वारा संचालित किया गया जिसका भुगतान आईएमसी गाइडलाइंस के विपरीत आईएमसी फ़ंड से किया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि "व्यवसाय प्रारम्भ करते ही एनसीवीटी के लिए affiliation हेतु प्रयास किया गया विलम्ब होने के कारण अगस्त 2018 मे affiliation प्राप्त हुआ एवं वर्तमान तक संबन्धित पद स्वीकृत नही होने के कारण संबन्धित सविदा कर्मचारी की तैनाती की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मचारी की तैनाती के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी"।

उत्तर मान्य नही पाया गया, क्योकि गाइडलाइंस के अनुसार व्यवसायो का एनसीवीटी मान्यता के उपरान्त ही आईएमसी फ़ंड से व्यय किया जाना अनुमन्य था तथा माह 06/2018 तक धनराशि रु 5.49 लाख का Additional Man Power पर किया गया व्यय एससीवीटी से संचालित व्यवसाय वेल्डर के अंतर्गत पाया गया जो आईएमसी फ़ंड अनुमन्य नही था तथा दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

अतः धनराशि रु 5.49 लाख का व्ययावर्तन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3:- अनुश्रवण की कमी के कारण लागत धनराशि रु. 109.66 लाख की निर्मित भवन 2 वर्षो से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़े रहने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी के नियंत्रणाधीन संचालित आईटीआई ब्रह्मखाल की निर्मित भवन पत्रावली की लेखापरीक्षा मे जांच की गयी जिसमे पाया गया कि शासनादेश संख्या 544/XVII-(2)फ/14-12(10)/2014, दिनांक 31 मार्च 2014 के क्रम मे स्वीकृत लागत रु 109.66 लाख की भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था यू पी निर्माण निगम को एकमुश्त धनराशि रु 109.66 लाख अवमुक्त की गयी जिसके कार्यपूर्ण होने की तिथि मार्च 2015 पायी गयी।

पत्रावली की जांच मे तथ्य उजागर हुई की भवन का कार्य उक्त निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो चुका था, परंतु हस्तांतरण से पूर्व माह जुलाई 2016 मे हुई भारी बारिश के भू-स्खलन से भवन के पीछे मलवा आने से भवन क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध मे कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले कार्यो हेतु आगणन रु 141.95 लाख का ग्राहक विभाग को नवम्बर 2017 मे प्रेषित किया जाना पाया गया। आगे जांच मे पाया गया कि कार्य पूर्ण होने तथा भवन के आपदा के कारण कुछ भाग क्षतिग्रस्त होने की बीच की अवधि 01 वर्ष से ऊपर की पायी गयी तथा इन अवधि मे Handing-Taking कार्यवाही के संबंध मे विभाग द्वारा कोई संयुक्त निरीक्षण करने के संबंध मे अभिलेख अनुपलब्ध पाया गया तथा दैविय आपदा से हुयी क्षतिग्रस्त भवन की राजस्व विभाग की रिपोर्ट सुनिश्चित किये बिना विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त किया गया तथा वर्ष 2017 से धन के अभाव मे निर्मित भवन अप्रयुक्त पड़ा हुआ पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि आगणन की प्रति एजेंसी द्वारा सीधे विभाग को हस्तगत किया गया जिस कारण संस्थान वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने मे असमर्थ है, भवन हस्तगत करने सम्बन्धी कोई संयुक्त निरीक्षण समिति गठित नही की गयी। निर्माण एजेंसी द्वारा देवीय आपदा से क्षतिग्रस्त भाग को राजस्व विभाग के पटवारी की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित नही की गयी। इस संबंध मे निर्माण एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, भवन इकाई की बन रही थी, परंतु इकाई द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट पर अनभिज्ञता जाहिर करना तथा यह कहना कि कार्यदायी संस्था का सीधा नियंत्रण विभाग से है, निर्माण कार्य के संबंध मे समन्वय की बड़ी कमी पायी गयी।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1:- संचालित उच्चीकरण योजना के निर्धारित लक्ष्य का अनुसरण न करना तथा धीमी प्रगति पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी मे भारत सरकार की पीपीपी मोड योजना अपग्रेडेशन की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा मे संवीक्षा की गयी जिसमे पाया गया कि वर्ष 2008 मे संस्थान को संचालित व्यवसायो का अपग्रेडेशन तथा रोजगारोंमुखी नए ट्रेड खोले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा रु 2.50 करोड़ अवमुक्त की गयी थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Institutional Development Plan (IDP) के अंतर्गत निर्धारित क्रमिक वर्षो के लक्ष्य तथा उनके सापेक्ष Quarterly Progress Report के अनुसार प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यो की तुलनात्मक आँकड़े निम्नवत पाये गए :

(रु लाख मे)

क्र° स°	**स्वीकृत मद**	**आईडीपी के अनुसार वर्ष 2018 तक व्यय का लक्ष्य**	**वर्ष 2018 तक मदवार वास्तविक व्यय**	**व्यय प्रतिशत**
1	Civil Works	57.76	18.26	31.61
2	Tools & Equipment	108.81	71.53	65.73
3	Consumables Maintenance & Training	4.05	14.34	354.07

उपरोक्त आँकड़े के विश्लेषण से स्पष्ट था कि सिविल वर्क पर संस्थान 31.61 प्रतिशत व्यय कर सकी जो निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे था। इसी प्रकार मशीन टूल्स पर 65.73 प्रतिशत ही व्यय किया जा सका जबकि पर्याप्त Infrastructure सृजित नही होने के बावजूद consumables तथा training मद पर 300 प्रतिशत व्यय कर दिया गया जो निर्धारित लक्ष्य का उल्लंघन पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि निदेशालय से कार्य की स्वीकृति न मिलने के कारण त्वरित गति से लक्ष्य की प्राप्ति नही हो पा रही है।

उत्तर मान्य नही है, भारत संकार की गाइडलाइंस के अनुसार Institute Managment Committee (आईएमसी) को अपग्रेडेशन के मामले मे निर्णय की स्वायतता प्रदान की गयी है जिसमे राज्य सरकार का हस्तक्षेप को सीमित किया गया है। पर्याप्त धन मौजूद होने के बावजूद लक्ष्यो को प्राप्त न करना समिति की नीति निर्धारण मे कमी पायी गयी।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
35/10/2003-04	01	01	--
67/2008-09	---	---	01
154/2015-16	---	01	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभियुक्ति**
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**			
35/10/2003-04	01	01	--	अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया।		
67/2008-09	---	---	01			
154/2015-16	---	01	--			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री उदयराज सिंह	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी	लेखापरीक्षा अवधि से 05/2016 तक
श्री अनिल कुमार गुसाई	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी	06/2016 से 09/2017 तक
श्री निरंजन कुमार खुगशाल	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी	10/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.